स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

सुगंध भवन, एन एच बाइ-पास, पालारिवट्टम पी.ओ, कोच्ची, केरल, 682025

"भारत से मसालों और मूल्यलर्धित मसाला उत्पादों के निर्यात की क्षमता बढ़ाने के लिए रणनीतियों की पहचान करने हेतु एक पेशेवर एजेंसी की नियुक्ति" केलिए निविदा आमंत्रण सूचना।

1. परिचय

भारत वैश्विक स्तर पर मसालों और मसाला उत्पादों का एक प्रमुख उत्पादक और निर्यातक है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत से मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात मात्रा और मूल्य दोनों ही दृष्टि से सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। 2024-25 के दौरान, भारत ने 17.99 लाख टन मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात किया, जिनका मूल्य 39994.48 करोड़ रुपये (4722.65 मिलियन अमेरिकी डॉलर) था, जबकि 2023-24 के दौरान 15.40 लाख टन मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात हुआ था, जिनका मूल्य 36958.80 करोड़ रुपये (4464.17 मिलियन अमेरिकी डॉलर) था। इस प्रकार, मात्रा में 17%, रुपये में 8% और मूल्य में डॉलर में 6% की वृद्धि दर्ज की गई। भारत से निर्यात किए जाने वाले प्रमुख मसालों और मसाला उत्पादों में मिर्च, जीरा, मसाला तेल और ओलियोरेसिन, पुदीना उत्पाद, हल्दी, करी पाउडर और पेस्ट आदि शामिल हैं।

भारत मसालों और मसाला उत्पादों के निर्यात में अग्रणी होने के बावजूद, इसमें और अधिक वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं। हालांकि, इस क्षेत्र को गैर-टैरिफ बाधाओं, बुनियादी ढांचे की सीमाओं, गुणवत्ता और सुरक्षा अनुपालन संबंधी मुद्दों, अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा आदि जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

1.1. असाइनमेंट के बारे में:

स्पाइसेस बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारतीय मसालों और मूल्यवर्धित मसाला उत्पादों की निर्यात क्षमता को सतत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी तरीके से बढ़ाने के लिए व्यावहारिक रणनीतियों की पहचान हेतु एक व्यापक अध्ययन कराने का इच्छुक है। बोर्ड मसालों और मूल्यवर्धित मसाला उत्पादों की मूल्य श्रृंखला में शामिल हितधारकों के लिए उपयोगी सुझाव और सिफारिशें तैयार करने हेतु एक पेशेवर एजेंसी/फर्म को नियुक्त करने का इरादा रखता है।

2. उद्देश्य:

i. भारत के मसालों और मूल्यवर्धित मसाला उत्पादों के निर्यात की वर्तमान स्थिति और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता का आकलन करना।
ii. अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक रूप से देश से मसालों और मूल्यवर्धित मसाला उत्पादों के निर्यात के लिए दृष्टि और लक्ष्य को परिभाषित करना।
iii. वैश्विक रुझानों, उभरते बाजारों और नए उत्पाद अवसरों का विश्लेषण करना।

iv. निर्यात वृद्धि को सीमित करने वाली अवसंरचनात्मक, विनियामक, रसद संबंधी और अन्य बाधाओं की पहचान करना।

v. मसालों और मूल्यवर्धित मसाला उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की मौजूदा योजनाओं का मूल्यांकन और भविष्य के कार्यक्रमों के लिए सुझाव।

vi. मसालों और मूल्यवर्धित मसाला उत्पादों के प्रमुख निर्यातकों (जैसे चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ब्राजील आदि) द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपनाई गई नीतियों/उपायों का मानचित्रण और मूल्यांकन करना, जिसमें मसालों और मूल्यवर्धित मसाला उत्पादों के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के बीच व्यापार समझौतों का अध्ययन करना और विचारणीय कार्रवाई योग्य बिंदुओं की सिफारिश करना।

vii. गुणवत्ता संवर्धन, सुरक्षा अनुपालन, बाजार विविधीकरण और ब्रांडिंग के लिए रणनीतियों और कार्य योजना की सिफारिश करना तथा सामान्य प्रचार के साथ-साथ विशिष्ट उत्पाद श्रेणी/गंतव्य/बाजार खंड के अनुसार प्रचार के लिए विपणन योजना तैयार करना।

viii. भारतीय मसालों और मूल्यवर्धित मसाला उत्पादों के निर्यातकों द्वारा सामना किए जाने वाले एसपीएस/एक्सबीटी विवादों और बाजार पहुंच के मुद्दों का मानचित्रण करना और ऐसे मुद्दों को कम करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप और क्षमता-निर्माण उपायों का प्रस्ताव करना।

3. कार्य का दायरा:

इस अध्ययन में निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा:

3.1 उत्पाद कवरेज:

i. साबुत मसालें
ii. मसाला पाउडर, मिश्रण, करी पाउडर/मसाला, सीज़निंग, पेस्ट, फ्लेक्स आदि
iii. मसाला तेल, ओलियोरेसिन, मेन्थॉल आदि
iv. मसालों के अर्क (पोषक तत्वों सहित)
v. मसालों के अन्य मूल्यवर्धित/नवीन उत्पाद और अनुप्रयोग

मसालों और मूल्यवर्धित मसाला उत्पादों का 8 अंकों के एचएस कोड के अनुसार विवरण, जिन्हें वर्तमान में मसाला निर्यात टोकरी का हिस्सा माना जाता है, परिशिष्ट 1 में रखा गया है।

3.2 उत्पाद-बाजार विश्लेषण और अनुकूलता:

i. पिछले 5-10 वर्षों में निर्यात रुझानों (मूल्य, मात्रा, गंतव्य) की समीक्षा। उत्पादवार मौजूदा और संभावित उच्च-विकास वाले बाजारों की पहचान।

ii. पाक कला और गैर-पाक कला अनुप्रयोगों के साथ- साथ खुदरा और औद्योगिक क्षेत्रों को कवर करते हुए, उत्पाद-वार मौजूदा और संभावित उच्च विकास बाजारों की पहचान करना।

iii. मांग में उच्च मूल्यवर्धित नए उत्पाद श्रेणियों की पहचान (जैसे कि लेग सीज़निंग, फाइटोकेमिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स आदि)।

iv. मुक्त व्यापार समझौतों और व्यापार समझौतों (जैसे भारत-यूएई सीईपीए, भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता, भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए आदि) के साथ-साथ प्रमुख प्रतिस्पर्धियों के प्रमुख निर्यात स्थलों के साथ व्यापार समझौतों का प्रभाव आकलन।

3.3 अवसंरचना और आपूर्ति श्रृंखला:

i. गोदामों, प्रसंस्करण इकाइयों, निष्कर्षण सुविधाओं, रसद और निर्यात प्रबंधन सुविधाओं का मूल्यांकन:
   क) मसालों के प्रसंस्करण और उच्च स्तरीय मूल्यवर्धन के लिए अवसंरचना
   ख) नए उत्पाद/अनुप्रयोग विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना का विस्तार
   ग) प्रसंस्करण इकाइयों के उपयोग की सीमा
   घ) परीक्षण सुविधाओं की उपलब्धता
ii. बुनियादी ढांचे की कमियों और क्षमता संबंधी बाधाओं की पहचान करना।

3.3.1 अनुपालन और मानक:

i. मसालों और मूल्यवर्धित मसाला उत्पादों के निर्यात के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों (एसपीएस, टीबीटी कोडक्स, आयात करने वाले देशों के मानक) के साथ भारत के अनुपालन का मूल्यांकन।
ii. प्रमाणीकरण, अभिवीक्षणीयता और गुणवत्ता नियंत्रण तंत्रों का विश्लेषण।
iii. आपूर्ति श्रृंखला में खेत से लेकर उपभोक्ता तक अभिवीक्षणीयता का स्तर, यूरोपीय संघ, अमेरिका आदि जैसे बाजारों में कड़े एसपीएस मानकों को पूरा करने के लिए आवश्यक है।
iv. आयात करने वाले देश की आवश्यकताओं के अनुपालन को मजबूत करने के लिए सिफारिशें।
v. बाजार पहुंच संबंधी अपेक्षाएं।
vi. विभिन्न देशों द्वारा विभिन्न मसालों और मूल्यवर्धित मसाला उत्पादों के लिए एसपीएस अपेक्षाएं/एमआरएल बाजार में पैठ और विस्तार में चुनौतियाँ हैं।
vii. देश में एसपीएस/एमआरएल अनुपालन के लिए निगरानी योजनाएँ।

एजेंसी को वैश्विक रुझानों, मौजूदा और उभरते बाजारों और नए उत्पाद अवसरों का विश्लेषण करना चाहिए, निर्यात वृद्धि को सीमित करने वाली अवसंरचनात्मक, नियामक और रसद संबंधी बाधाओं की पहचान करनी चाहिए और मसालों और मूल्यवर्धित मसाला उत्पादों के प्रमुख निर्यातकों (जैसे चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया, श्रीलंका, नाइजीरिया, नेपाल, ग्वाटेमाला आदि) द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपनाई गई नीतियों/उपायों का मानचित्रण और मूल्यांकन करना चाहिए, जिसमें मसालों और मूल्यवर्धित मसाला उत्पादों के प्रमुख प्रतिस्पर्धियों द्वारा किए गए व्यापार समझौतों का अध्ययन भी शामिल है।

3.4 हितधारकों की सहभागिता:

i. मसालों और मूल्यवर्धित मसाला उत्पादों की निर्यात आपूर्ति श्रृंखला में उत्पादकों, निर्यातकों, उद्योग संघों, राज्य विभागों, अनुसंधान संस्थानों, बाजार समितियों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श।

ii. जमीनी चुनौतियों और अवसरों में गुणात्मक अंतर्दृष्टि का संकलन।

3.5 तुलनात्मक बेंचमार्किंग:

i. मसालों और मूल्यवर्धित मसाला उत्पादों के निर्यात में सर्वोत्तम प्रथाओं वाले प्रमुख निर्यातक देशों (जैसे चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया, श्रीलंका, नाइजीरिया, नेपाल, ग्वाटेमाला आदि) का अध्ययन।

ii. वैश्विक समकक्षों के मुकाबले भारत की मूल्य श्रृंखला प्रतिस्पर्धात्मकता का मानकीकरण।

3.6 रणनीतिक सिफारिशें:

i. उत्पाद श्रेणी/गंतव्य/बाजार खंड विशिष्ट निर्यात रणनीतियाँ जो मौजूदा और संभावित मूल्यवर्धित उत्पाद श्रेणियों (जैसे: मसाले, फाइटोकेमिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स आदि), मौजूदा और संभावित उच्च-विकास वाले बाजारों, पाक कला और गैर-पाक कला अनुप्रयोगों, साथ ही खुदरा और औद्योगिक क्षेत्रों को कवर करती हैं।

ii. निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख प्रतिस्पर्धियों (जैसे चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया, श्रीलंका, नाइजीरिया, नेपाल, ग्वाटेमाला आदि) की नीतियों/उपायों/अनुमानित समय सीमाओं का अवलोकन करके भारत द्वारा विचार किए जाने योग्य कार्रवाई योग्य बिंदु।

iii. भारत द्वारा विचार किए जाने हेतु नए एफटीए पर सिफारिशें, साथ ही मौजूदा एफटीए के प्रभाव आकलन के आधार पर किए जाने वाले संशोधन/परिवर्तन, ताकि निर्यात को और अधिक मजबूत किया जा सके।

iv. अवसंरचना संबंधी कमियाँ और क्षमता संबंधी बाधाएँ, साथ ही अवसंरचना, प्रयोगशालाओं, अनुसंधान एवं विकास आदि के लिए निवेश प्राथमिकताएँ।

v. आयात करने वाले देश की आवश्यकताओं, बाजार पहुंच संबंधी आवश्यकताओं (प्रमुख देश/क्षेत्रवार), एसपीएस आवश्यकताओं, एसपीएस/एमआरएल के लिए निगरानी योजनाओं, अनुपालन आदि के अनुपालन को सुदृढ़ करने हेतु अनुशंसाएँ।

vi. ब्रांडिंग, मार्केटिंग और प्रमोशन के उपाय (जैसे जीआई टैग, इंडिया ब्रांडिंग, जेनेरिक और विशिष्ट प्रमोशन)।

vii. वास्तविक चुनौतियों और अवसरों पर सिफारिशें।

viii. नीतिगत समर्थन, प्रशिक्षण और संस्थागत क्षमता निर्माण के लिए सिफारिशें।

4. कार्यप्रणाली:

अध्ययन में लक्षित हितधारकों को शामिल किया जाना चाहिए और इसमें एक मजबूत और साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए:

i. द्वितीयक अनुसंधान: (डीजीईटी, आईटीसी ट्रेड मैप, यूएन कॉन्ट्रेड, डब्ल्यूआईटीएस आदि से एकत्रित व्यापार डेटा का विश्लेषण, स्पाइसेस बोर्ड/एमओईपीआई/ईपीएम/अन्य प्रासंगिक योजनाओं, निर्यात दिशानिर्देशों आदि की समीक्षा। (डब्लियु.आर.टी डेटा संग्रह, फील्ड रिसर्च, हितधारकों के साथ बातचीत, प्रतिस्पर्धी बेंचमार्किंग आदि से संबंधित सभी खर्च एजेंसी द्वारा वहन किए जाएंगे।)।

ii. क्षेत्रीय अनुसंधान: मसालों और मूल्यवर्धित मसाला उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात के प्रमुख राज्यों और प्रमुख समूहों में प्राथमिक सर्वेक्षण (उत्पादकों; एफपीओ/एफपीसी/उत्पादक संघों; व्यापारियों, निर्यातकों आदि से कम से कम 20 प्रतिक्रियाएं एकत्र की जानी आवश्यक हैं)।

iii. हितधारकों के साथ संवाद: निर्यातकों, उत्पादकों, आपूर्ति श्रृंखला में शामिल हितधारकों आदि के साथ संरचित परामर्श (उत्पादकों/एफपीओ/एफपीसी/उत्पादक संघों; निर्यातकों/निर्यातक संघों/व्यापार सहायता संगठनों; व्यापारियों, एपीएमजी/एएमसी प्रतिनिधियों; कृषि/हर्ती विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थानों/सरकारी विभागों/संगठनों आदि के साथ कम से कम 5 परामर्श/बैठकें)।

iv. एसडब्लियुओटी/जीएपी/बेंचमार्क विश्लेषण (उत्पाद श्रेणी/गंतव्य/बाजार खंड विशिष्ट): मूल्य श्रृंखला घटकों का केंद्रित मूल्यांकन और वैश्विक तुलना, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का बेंचमार्किंग और प्रतिस्पर्धी मूल्यांकन।

लक्षित हितधारक निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करते हैं

i. मसालों और मसाला उत्पादों की मूल्य श्रृंखला में लगे हुए लोग (संदर्भ 3.1), और

ii. ऐसे उत्पादों के निर्यात में लगे हुए लोग।

निर्यातकों से तात्पर्य स्पाइसेस बोर्ड में पंजीकृत निर्यातकों से है।

5. परिणाम:

i. आरंभिक रिपोर्ट: कार्यप्रणाली, समयसीमा और प्रारंभिक टिप्पणियों का विस्तृत विवरण (कार्य आदेश दिए जाने के 2 सप्ताह के भीतर)।

ii. अंतरिम रिपोर्ट: परामर्शों से प्राप्त प्रारंभिक निष्कर्ष और प्रतिक्रिया (8 सप्ताह के भीतर)।

iii. अंतिम रिपोर्ट का मसौदा: विस्तृत विश्लेषण और सिफारिशों का मसौदा (12 सप्ताह के भीतर)

iv. अंतिम रिपोर्ट और कार्यकारी सारांश: सभी प्रतिक्रियाओं और नीतिगत संक्षिप्त विवरणों को शामिल करते हुए (14 सप्ताह के भीतर)।

v. प्रस्तुति: स्पाइसेस बोर्ड के अधिकारियों और हितधारकों के समक्ष।

स्पाइसेस बोर्ड को ऊपर उल्लिखित अवधि को निर्धारित दायित्वों की पूर्ति के लिए बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित है।

6. समयसीमा:

कार्य 4 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और आपसी सहमति के आधार पर इसे 2 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है।

7. अपेक्षित परिणाम:

i. भारत के मसालों और मूल्यवर्धित मसाला उत्पादों के निर्यात मूल्य और मात्रा को बढ़ाने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप।
ii. लक्षित प्रचार के लिए प्रमुख उत्पादों और गंतव्यों की रणनीतिक पहचान।
iii. स्पाइसेस बोर्ड की योजना और हस्तक्षेप के लिए नीति और कार्यक्रम संबंधी सिफारिशें, जैसा कि ऊपर 3.6 में बताया गया है।

7. निविदा प्रस्तुत करने की पात्रता:

7.1.1 व्यावसायिक परामर्श एजेंसियां/अनुसंधान संगठन/शैक्षणिक संस्थान/सार्वजनिक/निजी संगठन, जो पिछले पांच वित्तीय वर्षों या उससे अधिक समय से अस्तित्व में हैं और नीति अनुसंधान, निर्यात बाजार अध्ययन जैसे समान प्रकार के अध्ययनों के निष्पादन में निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं और जिनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है, वे बोली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

7.2 7.2 एजेंसी का विवरण जैसे नाम, पता, जीएसटी पंजीकरण संख्या, पैन, पिछले पांच वित्तीय वर्षों (2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25) के लिए (परामर्श कार्यों से) टर्नओवर, वांछित क्षेत्र में किए गए अध्ययनों की संख्या, अनुलग्नक-1 में दिए गए प्रपत्र के अनुसार सहायक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ प्रस्तुत किया जाना है।

क्रमांक	**पात्रता मापदंड**
7.2.1	एजेंसी को पिछले पांच वित्तीय वर्षों में से किन्हीं तीन वर्षों में परामर्श सेवाओं से 50,00,000/- रुपये (पचास लाख रुपये) का वार्षिक कारोबार अर्जित करना चाहिए। परामर्श सेवाओं से प्राप्त कारोबार का विवरण केवल आवेदक संगठन के नाम पर होना चाहिए, न कि समूह/सहयोगी संगठनों के नाम पर। (सलाह सेवाओं से प्राप्त कारोबार के विवरण सहित चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, अनुलग्नक-2 के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए)।
7.2.2	एजेंसी ने पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान सरकारी विभागों या संगठनों/बहुपक्षीय एजेंसियों (जैसे: संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र से संबंधित निकाय, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, आईटीसी, एडीबी आदि) के लिए समान प्रकार के कम से कम तीन कार्य पूरे किए हों। केवल पूर्ण हो चुके प्रोजेक्टों पर ही विचार किया जाएगा। (कृपया ऐसे कार्यों के कार्य आदेश और पूर्णता प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7.2.3	परामर्श फर्म को किसी भी सरकारी संगठन द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाना चाहिए, अनुलग्नक-3 के अनुसार एक घोषणा प्रस्तुत की जाएगी।

7.2.4	यदि स्पाइसेस बोर्ड द्वारा अध्ययन पर कार्य करने के लिए एजेंसी को यह कार्य सौंपा जाता है, तो उस एजेंसी की टीम में एक टीम लीडर और 2 टीम सदस्य/सहयोगी होंगे जो निम्नलिखित भूमिकाएँ निभा सकते हैं: i) कृषि/बर्ती निर्यात विशेषज्ञ, ii) अर्थशास्त्री, iii) सांख्यिकीविद् आदि। एजेंसी को उपरोक्त भूमिका निभाने वाले टीम सदस्यों के नाम और विवरण, उनकी भूमिका/पदनाम (टीम लीडर, सहयोगी/सदस्य आदि) सहित, सीवी के साथ प्रस्तुत करने होंगे।
7.2.5	टीम लीडर को (ख) मार्केटिंग/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार/कृषि व्यापार में डॉक्टरेट/एमबीए या स्नातकोत्तर की डिग्री और संबंधित क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए
7.2.6	टीम के सहयोगी/सदस्यों के पास मार्केटिंग/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार/कृषि व्यवसाय/कृषि/अर्थशास्त्र/ सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए और व्यापार डेटा के विश्लेषण में विशेषज्ञता होनी चाहिए।
नोट: पिछले पांच वित्तीय वर्षों से अर्थात वर्ष 2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24 और 2024–25 से।	

7.3 बयाना राशि जमा (ईएमडी) और प्रदर्शन सुरक्षा:

7.3.1 तकनीकी बोली के साथ 2,00,000/- रुपये (दो लाख रुपये) का ब्याज-मुक्त बयाना जमा (ईएमडी) डिमांड ड्राफ्ट के रूप में "स्पाइसेस बोर्ड" के पक्ष में कोच्ची में देय होना चाहिए। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद असफल बोलीदाताओं से प्राप्त ईएमडी वापस कर दी जाएगी। सफल बोलीदाता से प्राप्त ईएमडी पर पैरा 7.3.4 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

7.3.2 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पंजीकृत एजेंसियों को ईएमडी जमा करने से छूट सरकारी नियमों के अनुसार लागू होगी।

7.3.3 सरकारी नियमों के अनुसार, एनएसआईसी और एमएसएमई पंजीकृत संगठनों को प्रदर्शन सुरक्षा प्रस्तुत करने से कोई छूट नहीं दी जाएगी।

7.3.4 अनुबंध के मूल्य का पांच प्रतिशत (5%) या 2,00,000/- रुपये (दो लाख रुपये), जो भी अधिक हो, प्रदर्शन सुरक्षा के रूप में चयनित एजेंसी द्वारा जमा किया जाएगा। चयनित एजेंसी से प्राप्त 2,00,000/- रुपये (दो लाख रुपये) की ईएमडी को प्रदर्शन सुरक्षा में समायोजित किया जाएगा। यदि बोली मूल्य का 5% 2.00 लाख रुपये से अधिक होता है, तो एजेंसी दो लाख रुपये से अधिक की अतिरिक्त राशि "स्पाइसेस बोर्ड" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के रूप में जमा करेगी। दोनों राशियों को मिलाकर प्रदर्शन सुरक्षा माना जाएगा। सभी संविदात्मक दायित्वों के पूर्ण होने के बाद प्रदर्शन सुरक्षा की राशि बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।

8. चयन प्रक्रिया:

8.1 चयन प्रक्रिया में पूर्व-बोली बैठक, प्राप्त बोली दस्तावेजों का मूल्यांकन, चयन समिति के समक्ष एजेंसियों द्वारा प्रस्तुति, अंक प्रदान करना, चुनिंदा एजेंसियों की वित्तीय बोलियों को खोलना और सफल एजेंसी की घोषणा शामिल है।

8.2 पूर्व-बोली बैठक का कार्यवृत्त स्पाइसेस बोर्ड की वेबसाइट पर परिशिष्ट/संशोधन के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली जमा करने से पहले परिशिष्ट/संशोधन की प्रतीक्षा करें। परिशिष्ट/संशोधन निविदा दस्तावेज का अभिन्न अंग होगा और बाध्यकारी होगा। प्री-बिड मीटिंग में अनुपस्थिति अयोग्यता का कारण नहीं होगी।

8.3 बोलियों का मूल्यांकन:

8.3.1 स्पाइसेस बोर्ड की एक समिति प्राप्त दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच करेगी और निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली बोलीदाता एजेंसियों को शॉर्टलिस्ट करेगी। शॉर्टलिस्ट की गई एजेंसियों को चयन समिति के समक्ष तकनीकी प्रस्तुति देनी होगी।

8.3.2 बोलियों का मूल्यांकन दो चरणों में किया जाएगा- पहला, तकनीकी मूल्यांकन, और दूसरा, वित्तीय बोली का खोलना।

8.3.3 बोलियों के तकनीकी मूल्यांकन के लिए, चयन समिति के समक्ष बोलीदाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, स्पाइसेस बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तिथि और समय पर एक प्रस्तुति आयोजित की जाएगी।

8.3.4 तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन किया जाएगा और निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रमाण पत्रों के आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे:

क्रमांक	**क्षेत्रों**	**न्यूनत्म अंक**	**अधिकतम अंक**
(i)	तकनीकी प्रस्ताव पर प्रस्तुति जिसमें असाइनमेंट को पूरा करने के लिए अवधारणा और कार्यप्रणाली शामिल हो, जिसमें असाइनमेंट की समझ, कार्य योजना और एजेंसी की क्षमताओं को उजागर किया गया हो, जिसमें इसके लिए बैक-एंड समर्थन भी शामिल हो।	30	60
(ii)	पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी विभागों या संगठनों/बहुपक्षीय एजेंसियों (जैसे: संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र से संबंधित निकाय, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, आईटीसी, एडबी आदि) के लिए इसी प्रकार के अध्ययन करने का अनुभव। (केवल पूर्ण परियोजनाओं पर ही विचार किया जाएगा और प्रत्येक	12	20

	पूर्ण परियोजना के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। हालांकि, अधिकतम अंक 20 होंगे।)		
(iii)	कृषि/बागवानी निर्यात के क्षेत्र में अध्ययन करने में टीम लीडर का अनुभव - (A) 10 वर्ष से 12 वर्ष _____ 8 अंक (B) 12 वर्ष से ज्यादा _____10 अंक	8	10
(iv)	कृषि/बागवानी निर्यात के क्षेत्र में अध्ययन करने में टीम सहयोगी/सदस्य का अनुभव- iv.1. टीम सहयोगी/सदस्य 1 का अनुभव (A) 3 से 4 वर्ष - .....4 अंक (B) 4 वर्ष से ज्यादा _____5 अंक	4	5
	iv.2. टीम सहयोगी/सदस्य 2 का अनुभव (C) 3 से 4 वर्ष .....4 अंक (D) 4 वर्ष से ज्यादा_____ 5 अंक	4	5
	नोट: उपरोक्त (iii) और (iv) के लिए, स्पाइसेस बोर्ड द्वारा नियुक्त किए जाने के बाद, अध्ययन का संचालन करने वाले टीम लीडर और सदस्यों/सहयोगियों का अनुभव फर्म द्वारा रोजगार पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। फर्म यह सुनिश्चित करेगी कि टीम लीडर और सदस्य/सहयोगी अध्ययन के पूरा होने तक उसका हिस्सा बने रहें। हालांकि, यदि टीम लीडर और/या सदस्य/सहयोगी अध्ययन का हिस्सा नहीं रहते हैं, तो फर्म यह सुनिश्चित करेगी कि इस निविदा दस्तावेज के अनुसार आवश्यक योग्यता और अनुभव वाले उपयुक्त प्रतिस्थापन नियुक्त किए जाएं।		

सभी प्रस्तुतियों का मूल्यांकन किया जाएगा। तकनीकी प्रस्तुतियों में न्यूनतम 70% अंक (100 में से 70 अंक) प्राप्त करने वाले बोलीदाताओं को ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और केवल उनकी वित्तीय बोलियां ही खोली जाएंगी।

8.4 तकनीकी मूल्यांकन के बाद, वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी और चयनित आवेदकों में से न्यूनतम लागत चयन (एलसीएस) विधि द्वारा चयन किया जाएगा। चयनित आवेदकों में से, अध्ययन करने के लिए सबसे कम राशि का प्रस्ताव देने वाले आवेदक का चयन किया जाएगा।

8.5 चयन समिति अनुबंध/आदेश देने से पहले, बिना कोई कारण बताए और स्पाइसेस बोर्ड पर कोई दायित्व डाले बिना किसी भी समय निविदा सूचना वापस लेने, किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। यदि आवश्यक समझा जाए, तो स्पाइसेस बोर्ड सबसे कम बोली लगाने वाली एजेंसी के साथ कीमतों पर बातचीत करके उन्हें कम करने का प्रयास करेगा।

9. अप्रत्याशित घटना:

यदि इस अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी समय, किसी भी पक्ष द्वारा इस अनुबंध के अंतर्गत किसी भी दायित्व का पूर्ण या आंशिक निष्पादन युद्ध, शत्रुता, जन शत्रु के कृत्यों, नागरिक अशांति, तोड़फोड़, राज्य के कार्य या वैधानिक प्राधिकरण के निर्देश, विस्फोट, महामारी, संगरोध प्रतिबंध, हड़ताल और तालाबंदी (जो एजेंसी के प्रतिष्ठानों और सुविधाओं तक सीमित नहीं हैं), आग, बाढ़, प्राकृतिक आपदाओं या दैवीय घटना (जिसे इसके बाद घटना कहा जाएगा) के कारण बाधित या विलंबित हो जाता है, बशर्ते कि प्रभावित पक्ष द्वारा ऐसी किसी घटना की सूचना दूसरे पक्ष को घटना घटित होने की तिथि से 15 कैलेंडर दिनों के भीतर दे दी जाए, तो कोई भी पक्ष ऐसी घटना के कारण अनुबंध समाप्त करने का हकदार नहीं होगा, और न ही किसी भी पक्ष को दूसरे पक्ष के विरुद्ध ऐसे निष्पादन न करने या निष्पादन में विलंब के संबंध में क्षतिपूर्ति का कोई दावा करने का अधिकार होगा, बशर्ते कि ऐसी घटना समाप्त होने या अस्तित्व समाप्त होने के बाद यथाशीघ्र अनुबंध पुनः आरंभ किया जाएगा। स्पाइसेस बोर्ड के सचिव का यह निर्णय कि सेवा को पुनः शुरू किया जा सकता है या नहीं (और वह समय सीमा जिसके भीतर सेवा पुनः शुरू की जा सकती है) अंतिम और निर्णायक होगा, बशर्ते कि यदि इस अनुबंध के अंतर्गत किसी भी दायित्व का पूर्ण या आंशिक निष्पादन किसी ऐसी घटना के कारण 30 दिनों से अधिक समय तक बाधित या विलंबित होता है, तो कोई भी पक्ष अपने विकल्प पर अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

10. मध्यस्थता:

क. इस निविदा से उत्पन्न होने वाले सभी विवाद भारतीय कानून द्वारा शासित होंगे और केवल कोच्ची स्थित न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।

ख. किसी भी विवाद की स्थिति में, दोनों पक्ष सुलह प्रक्रिया के माध्यम से समाधान करने के लिए सभी प्रयास करेंगे।

ग. यदि इस समझौते के अंतर्गत उत्पन्न होने वाला कोई संदेह, प्रश्न, विवाद या मतभेद (उन मामलों को छोड़कर जिनका निर्णय इस समझौते में विशेष रूप से निर्धारित है) अनसुलझा रहता है, तो उसे स्पाइसेस बोर्ड के सचिव द्वारा मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ को भेजा जाएगा और दिया गया निर्णय पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

घ. भारतीय मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 (समय-समय पर संशोधित) के प्रावधान दोनों पक्षों पर लागू होंगे। मध्यस्थता कार्यवाही का स्थान मसाला बोर्ड का कार्यालय या ऐसा कोई अन्य स्थान होगा जो स्पाइसेस बोर्ड के सचिव द्वारा निर्धारित किया जाए। उपर्युक्त संदर्भों पर, निर्णय हेतु कार्यवाही में लागत एवं आकस्मिक व्ययों का निर्धारण स्पाइसेस बोर्ड के सचिव के विवेकाधिकार पर होगा।

ङ. मध्यस्थ को देय शुल्क दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा। मध्यस्थता कार्यवाही में प्रयुक्त भाषा अंग्रेजी होगी।

11. क्षतिपूर्ति:

एजेंसी, स्पाइसेस बोर्ड और उसके अधिकारियों/कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की कार्यवाही, कार्रवाई, हानि, क्षति, व्यय, लागत और तृतीय-पक्ष दावों से होने वाले नुकसान से बचाएगी, उनकी रक्षा करेगी और उन्हें क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी, चाहे वे वित्तीय हों या अन्य प्रकार के, जिसमें ईपीएफओ/ईएसआईसी/सरकारी विभागों/स्थानीय निकायों/वैधानिक प्राधिकरणों आदि को देय अंशदान के भुगतान की देयता भी शामिल है, जो स्पाइसेस बोर्ड को अनुबंध की अवधि के दौरान और उसके बाद अनुबंध की अवधि से संबंधित किसी भी समय एजेंसी, उसके उप-ठेकेदारों, उप-एजेंटों, कर्मचारियों आदि द्वारा अनुबंध के तहत अपने किसी भी दायित्व के उल्लंघन के कारण हो सकती है।

12. बौद्धिक संपदा अधिकार

i. स्पाइसेस बोर्ड का नाम/लोगो/अन्य आईपीआर केवल स्पाइसेस बोर्ड की एकमात्र और अनन्य संपत्ति होगी। एजेंसी और/या उनके उप-एजेंटों/उप-ठेकेदारों/कर्मचारियों आदि द्वारा स्पाइसेस बोर्ड के नाम/लोगो/आईपीआर के किसी भी दुरुपयोग/गलत प्रस्तुतिकरण/अनाधिकृत उपयोग के लिए एजेंसी ही पूर्णतः उत्तरदायी होगी।

ii. स्पाइसेस बोर्ड के नाम/लोगो/आईपीआर के किसी भी दुरुपयोग/गलत प्रस्तुतिकरण/अनाधिकृत उपयोग के कारण किसी तीसरे पक्ष को होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए स्पाइसेस बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा।

iii. एजेंसी, स्पाइसेस बोर्ड के नाम/लोगो/आईपीआरएस के किसी भी दुरुपयोग/गलत बयानी/अनाधिकृत उपयोग और/या उनके/उनके उप-एजेंटों/उप-ठेकेदारों/कर्मचारियों आदि द्वारा किए गए किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकार के उल्लंघन से संबंधित किसी भी दावे के विरुद्ध स्पाइसेस बोर्ड को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी।

iv. स्पाइसेस बोर्ड ऐसे उल्लंघनों के लिए उचित समझे जाने वाले आवश्यक कानूनी और अन्य उपचारात्मक कार्रवाई करेगा।

13. भुगतान की शर्तें:

प्रदर्शन सुरक्षा जमा करने के बाद भुगतान जारी किया जाएगा। भुगतान निम्न प्रकार से जारी किया जाएगा:

i. अध्ययन के लिए स्वीकृति मिलने पर.....30%

ii. आरंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर.....20%

iii. प्रथम मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर..... 20%

iv. स्पाइसेस बोर्ड और हितधारकों के समक्ष प्रस्तुति के बाद और अंतिम रिपोर्ट के अनुमोदन पर..... 30%.

14. प्रदर्शन आश्वासन:

यदि एजेंसी द्वारा कार्य के दायरे के अनुसार किसी भी कार्य को पूरा करने में प्रदर्शन कम पाया जाता है, तो अंतिम भुगतान के समय कुल बोली मूल्य का एक हिस्सा, प्रदर्शन के अनुपात में, स्पाइसेस बोर्ड द्वारा रोक लिया जाएगा। इस संबंध में स्पाइसेस बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

15. बोली प्रस्तुत करने के लिए दिशानिर्देश:

i. सशर्त बोलियां स्वीकार्य नहीं हैं और उन्हें तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा।
ii. तथ्यों का कोई भी गलत विवरण/बोली वापस लेने पर ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।
iii. बोली लगाने वाली एजेंसी बोली दस्तावेजों की तैयारी और जमा करने का खर्च वहन करेगी।
iv. बोली दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर स्पाइसेस बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं। हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में प्राधिकरण पत्र अनुलग्नक-1 के साथ संलग्न किया जाना है।
v. सभी लिफाफों पर बोली लगाने वाली एजेंसी का नाम, पूरा पता, दूरभाष संख्या और ईमेल स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।
vi. प्रस्तुत बोली में कोई संशोधन या प्रतिस्थापन स्वीकार्य नहीं होगा। आवेदक आवेदन प्रस्तुत करने के बाद उसे वापस ले सकता है, बशर्ते कि आवेदन प्रस्तुत करने की समयावधि समाप्त होने से पहले स्पाइसेस बोर्ड को वापसी की लिखित सूचना प्राप्त हो जाए। यदि आवेदक अपना आवेदन पुनः जमा करना चाहता है, तो उसे निर्धारित तिथि तक सभी लागू शर्तों का पालन करते हुए एक नया आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
vii. बोली जमा करने की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त बोलियों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। ई-मेल के माध्यम से प्राप्त बोलियों पर भी विचार नहीं किया जाएगा।
viii. बोली जेम में प्रस्तुत की जाएगी और इसमें अनिवार्य रूप से निम्नलिखित दस्तावेज और निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट अन्य सभी दस्तावेज शामिल होंगे।

(क) डिमांड ड्राफ्ट: इसमें निम्नलिखित दस्तावेज शामिल होंगे: (जेम में अपलोड करें और मूल प्रति डाक द्वारा भेजें)

i. स्पाइसेस बोर्ड के पक्ष में 2,00,000/- रुपये (दो लाख रुपये) का डिमांड ड्राफ्ट, कोच्ची में देय, ब्याज मुक्त बयाना जमा (ईएमडी) के रूप में।

इसे सीलबंद लिफाफे में भौतिक रूप में जमा करना होगा और उस पर "मसालों और मूल्यवर्धित मसाला उत्पादों की निर्यात क्षमता बढ़ाने की रणनीतियों की पहचान के लिए अध्ययन" हेतु बयाना राशि जमा (ईएमडी) अंकित करना होगा। ईएमडी, बोली जमा करने की अंतिम तिथि से पहले या उस दिन तक, स्पाइसेस बोर्ड के मुख्यालय, नीचे दिए गए पते पर पहुंच जानी चाहिए।

(ख) तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़: इसमें निम्नलिखित दस्तावेज़ शामिल होंगे: (जेम में अपलोड करें)

i. अनुलग्नक 1-(विधिवत भरा हुआ) और सहायक दस्तावेज।
ii. अनुलग्नक-2-सीए प्रमाणपत्र
iii. अनुलग्नक-3-नॉट कालीसूची नहीं होने की घोषणा।
iv. तकनीकी प्रस्ताव जिसमें कार्य को पूरा करने के लिए अवधारणा और कार्यप्रणाली शामिल हो, जिसमें कार्य की समझ, कार्य योजना और एजेंसी की क्षमताओं को उजागर किया गया हो, जिसमें इसके लिए बैक-एंड समर्थन भी शामिल हो।

(ग) वित्तीय बोली - जेम में प्रस्तुत की जाएगी

वित्तीय बोली में निम्नलिखित घटक शामिल होंगे।

दस्तावेज़ के खंड 3 से 5 में विस्तृत कार्यक्षेत्र के अनुसार कार्य को पूरा करने की लागत, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. पेशेवर शुल्क पर व्यय,
2. यात्रा व्यय,
3. आंकड़ा संग्रहण
4. रिपोर्ट तैयार करना
5. कोई अन्य खर्च

नोट: तकनीकी बोली में कोई भी वित्तीय जानकारी प्रस्तुत नहीं की जाएगी।

निदेशक विपणन
स्पाइसेस बोर्ड
सुगंध भवन, एन.एच, बै-पास,
पालारिवट्टम पी.ओ, कोच्ची - 682025, केरल

महत्वपूर्ण तिथियाँ :

- **बोली प्रस्तुत करने की प्रारंभ तिथि : 11 मार्च 2026**
- **पूर्व बोली बैठक(हाइब्रिड मोड) मंगलवार, 23 मार्च 2026 को सुबह 11.00 बजे आयोजित की जाएगी। (बैठक लिंक** https://spices.webex.com/spices/j.php?MTID=mad26aa8861ab5b4ebfa02af87082983c **)**
- **बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 13 अप्रैल 2026 को शाम 5.00 बजे तक है।**

परिशिष्ट - I

मसालों और मूल्यवर्धित मसाला उत्पादों के एचएस कोड की सूची (8 अंकों)		
क्रमांक	**एचएस कोड**	**आईटम विवरण / उत्पाद**
1	0703 20 00	ताजा/ठंडा लहसून
2	0706 90 10	होर्स- रैडिश
3	0709 60 10	हरा मिर्च
4	0709 99 10	हरा कालीमिर्च
5	0710 80 10	टेरागन
6	0711 90 10	नमकीन पानी में हरा कालीमिर्च
7	0712 90 20	निर्जलित लहसून पाउडर
8	0712 90 30	सूखे लहसून के फ्लेक्स
9	0712 90 40	सूखे लहसून
10	0712 90 50	मर्जोरम, ओरगनो
11	0810 90 20	इमली, ताजा
12	0813 40 10	इमली, सूखी हुई
13	0904 11 10	पीपला
14	0904 11 20	हल्की काली मिर्च
15	0904 11 30	काली मिर्च कुटी हुई
16	0904 11 40	काली मिर्च बिना काटी हुई
17	0904 11 50	हरा कालीमिर्च, हाईड्रेटड
18	0904 11 60	काली मिर्च, पिनहेड्स
19	0904 11 70	हरा कालीमिर्च, जमे हुए या सूखे
20	0904 11 80	कालीमिर्च हरा वाले के अलावा, जमा हुआ
21	0904 11 90	अन्य
22	0904 12 00	काली मिर्च, कुचली हुई या पिसी हुई
23	0904 21 10	कैप्सिकम वंश के फल
24	0904 21 20	पिमेंटा वंश के फल
25	0904 22 11	लाल मिर्च पाउडर
26	0904 22 19	अन्य
27	0904 22 21	पाउडर (पिमेंटा वंश के फल)
28	0904 22 29	अन्य
29	0905 10 00	न कुचला हुआ न पिसा हुआ
30	0905 20 00	कुचला या पिसा हुआ

31	0906 11 10	दालचीनी की छाल
32	0906 11 20	दालचीनी के पेड़ के फूल
33	0906 11 90	अन्य
34	0906 19 10	कैसिया
35	0906 19 90	अन्य
36	0906 20 00	दालचीनी और दालचीनी के पेड़ के फूल, कुटे/पिसे हुए
37	0907 10 10	निकाले हुए (लौंग)
38	0907 10 20	जो निकाले हुए नहीं (तने के अलावा) (लौंग)
39	0907 10 30	तने(लौंग)
40	0907 10 90	अन्य
41	0907 20 00	कुचला या पिसा हुआ
42	0908 11 10	छिलके के अंतर (जायफल)
43	0908 11 20	छिलके सहित (जायफल)
44	0908 12 00	कुचला या पिसा हुआ
45	0908 21 00	न कुचला हुआ न पिसा हुआ(जावित्री)
46	0908 22 00	कुचला या पिसा हुआ(जावित्री)
47	0908 31 10	बड़ी (अमोमम) (इलायची)
48	0908 31 20	छोटी (एलेटेंरिया), एलेप्पी हरा (इलायची)
49	0908 31 30	छोटी, कूर्ग हरा (इलायची)
50	0908 31 40	छोटी - ब्लीच की हुई, आधी ब्लीच की हुई या ब्लीच करने योग्य(इलायची)
51	0908 31 50	छोटी (मिश्रित)
52	0908 31 90	एन्य
53	0908 32 10	पाउडर
54	0908 32 20	छोटी इलायची बीज
55	0908 32 30	इलायची की भूसी
56	0908 32 90	अन्य
57	0909 21 10	बीज की गुणवत्ता का (धनिया)
58	0909 21 90	अन्य
59	0909 22 00	कुटी हुई या पिसी दुई (धनिया)
60	0909 31 11	बीज की गुणवत्ता के अनुसार (जीरा, काला)
61	0909 31 19	अन्य
62	0909 31 21	बीज की गुणवत्ता (जीरा, काले के अलावा)
63	0909 31 29	अन्य

64	0909 32 00	कुटा हुआ या पिसा हुआ (जीरा)
65	0909 61 11	बीज की गुणवत्ता का (सौंफ)
66	0909 61 19	अन्य
67	0909 61 21	बीज की गुणवत्ता का (बदियन)
68	0909 61 29	अन्य
69	0909 61 31	बीज की गुणवत्ता का (काला जीरा या बडी सौंफ)
70	0909 61 39	अन्य
71	0909 61 41	बीज की गुणवत्ता का (जूनिपर)
72	0909 61 49	अन्य
73	0909 62 10	सौंफ(पाउडर)
74	0909 62 20	बादिया(पाउडर)
75	0909 62 30	काला जीरा या बडी सौंफ(पाउडर)
76	0909 62 40	जूनिपर बेरी(पाउडर)
77	0910 11 10	ताजा (अदरक)
78	0910 11 20	सुखा, बिना ब्लीच किया हुआ (अदरक)
79	0910 11 30	सूखा, ब्लीच किया हुआ (ginger)
80	0910 11 90	अन्य
81	0910 12 10	पाउडर
82	0910 12 90	अन्य
83	0910 20 10	केसर कलेक
84	0910 20 20	केसर पूमंग
85	0910 20 90	अन्य
86	0910 30 10	ताजा (इमली)
87	0910 30 20	सुखा (इमली)
88	0910 30 30	पाउडर (इमली)
89	0910 30 90	अन्य
90	0910 91 00	09.04-09.10 के विभिन्न शीर्षों के 2/अधिक उत्पादों के मिश्रण
91	0910 99 11	अजवाइन (बीज)
92	0910 99 12	मेथी (बीज)
93	0910 99 13	सोआ (बीज)
94	0910 99 14	अजवाइन (बीज)
95	0910 99 15	कैसिया टोरिया
96	0910 99 19	अन्य
97	0910 99 21	कैसिया पाउडर

98	0910 99 23	सेलरी (पाउडर)
99	0910 99 24	मेथी (पाउडर)
100	0910 99 25	सोआ (पाउडर)
101	0910 99 26	पॉपी (पाउडर)
102	0910 99 27	सरसों (पाउडर)
103	0910 99 29	अन्य
104	0910 99 30	छिलका
105	0910 99 90	अन्य
106	1106 30 10	आटा, मील और इमली का पाउडर
107	1207 50 10	बीज की गुणवत्ता(सरसों)
108	1207 50 90	अन्य
109	1207 91 00	पॉपी बीज
110	1207 99 40	कोकम
111	1209 9170	कैप्सिकम प्रजाति की मिर्च (मिर्च का बीज)
112	1211 90 16	गार्सीनिया
113	1211 90 33	गैम्बोज फल का छिलका
114	1211 90 42	गैलंगल के प्रकंद और जड़ें
115	1211 90 48	मीठे ध्वज प्रकंद
116	1211 90 53	पुदीना पत्तियों सहित (सभी प्रजाती)
117	1211 90 56	तुलसी, हिसॉप, रोज़मेरी, सेज और सेवरी
118	1211 90 95	लोवेज
119	1212 99 10	कोकम (कोकम) फूल
120	1301 90 13	हींग
121	1301 90 44	मसालों के ओलियोरेजिन
122	1302 19 18	गैरासिनिया या कैम्बॉडगे के अर्क
123	2103 30 00	सरसों का आटा और मील और तैयार किए सरसों
124	2103 90 10	करी पेस्ट
125	2103 90 20	मिर्च के सॉस
126	2103 90 30	मेयोनेज़ और सलाद ड्रेसिंग
127	2103 90 40	मिश्रीत मसाले और मिश्रित सीज़निंग
128	2103 90 90	अन्य
129	2906 11 10	प्राकृतिक मेन्थॉल
130	2906 11 90	अन्य
131	3003 90 21	मेन्थॉल क्रिस्टल

132	3301 24 00	पुदीना(मेथा पाइपरिटा) का सगंध तेल
133	3301 25 10	स्पीयरमिंट का सगंध तेल (Ex-mentha spicata)
134	3301 25 20	वॉटर मिंट का संगध तेल(Ex-mentha aquatic)
135	3301 25 30	होर्समिंट का संगध तेल (Ex-mentha sylvestries)
136	3301 25 40	बेर्गमेंट का संगध तेल (Ex-mentha citrate)
137	3301 25 90	अन्य
138	3301 29 11	सौंफ का तेल(सौंफ का तेल)
139	3301 29 14	जीरा तेल
140	3301 29 15	कैसिया तेल
141	3301 29 17	दालचीनी की छाल का तेल
142	3301 29 18	दालचीनी की पत्ती का तेल
143	3301 29 21	लौंग के पत्ते/तना का तेल
144	3301 29 22	धनिया के बीज का तेल
145	3301 29 23	डिल का तेल (अनेथम का तेल)
146	3301 29 25	बडीं सौंफ बीज का तेल
147	3301 29 26	अदरक का तेल
148	3301 29 28	लौंग की कली का तेल
149	3301 29 32	जायफल का तेल
150	3301 29 35	कालीमिर्च का तेल
151	3301 29 45	जीरा तेल
152	3301 29 46	अजवाइन के बीज का तेल
153	3301 29 47	लहसून का तेल
154	3301 29 48	लाल शिमला मिर्च का तेल
155	3301 29 49	हल्दी का तेल
156	3301 29 50	मसालों के तेल, जिनका उल्लेख कहीं और नहीं किया गया हो।
157	3301 90 11	मेथी ओलियोरेसिन
158	3301 90 12	अदरक ओलियोरेसिन
159	3301 90 13	काली मिर्च ओलियोरेसिन
160	3301 90 14	हल्दी ओलियोरेसिन
161	3301 90 15	इलायची ओलियोरेसिन
162	3301 90 16	अजवाइन के बीज ओलियोरेसिन
163	3301 90 17	जायफल ओलियोरेसिन
164	3301 90 21	लौंग ओलियोरेसिन
165	3301 90 22	कैप्सिकम ओलियोरेसिन

166	3301 90 23	धनिया ओलियोरेसिन
167	3301 90 24	जीरा ओलियोरेसिन
168	3301 90 25	सौंफ ओलियोरेसिन
169	3301 90 29	अन्यत्र निर्दिष्ट न किए गए मसालों के ओलियोरेसिन
170	3301 90 32	सरसों के तेल की सुगंध(एसेंशियल ऑयल)

अनुलग्नक-1

भारत से मसालों और मसाला उत्पादों के निर्यात की क्षमता बढ़ाने की रणनीतियों की पहचान करने हेतु अध्ययन के लिए तकनीकी प्रस्ताव

एजेंसी की विवरण

क्रमांक	**विवरण**	**विवरण**	**पृष्ठ सं.**
1	एजेंसी का नाम		
2	जीएसटी पंजीकरण के अनुसार पता (कृपया दस्तावेज संलग्न करें)		
3	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, पदनाम औप संपर्क विवरण, जिसमें ईमेल आईडी और मोबाइल/ टेलीफोन नंबर शामिल हैं। (कृपया प्राधिकरण पत्र संलग्न करें)		
4	पं जी क र ण /एओए & एमओए का विवरण (कृपया प्रति संलग्न करें)		
5	बोली लगाने वाली एजेंसी का जीएसटी विवरण (कृपया प्रति संलग्न करें)		
6	बोली लगाने वाले एजेंसीका पैन कार्ड (कृपया प्रति संलग्न करें)		
7	(i) एजेंसी का विस्तृत प्रोफाइल (ii) टीम लीडर का सीवी		

	(iii) टीम सहयोगी/सदस्य का सीवी			
8	स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची के पक्ष में 2,00,000/-रुपये(दो लाख रुपये) के ब्याज मुक्त बयाना राशि जमा (ईएमडी) के डिमांड ड्राफ्ट का विवरण			
9	"एमएसआइसी और एमएसएमई द्वारा जारी ईएमडी जमा करने से छूट का प्रमाण पत्र" (कृपया स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करें)			
10	सीए प्रमाण पत्र (कृपया विधिवत भरा हुआ अनुलग्नक - 2)			
11	एजेंसी को किसी भी सरकारी संगठनों द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है इस बात की घोषणा(कृपया विधिवत भरा हुआ अनुल्ग्नक-3 संलग्न करें)			
12	पिछले पांच वित्तीय वर्षों में से किन्ही तीन व्रषों के दौरान परामर्श सेवाओं से प्राप्त वार्षिक टर्नओवर का विवरण 50,00,000/-रुपये (पचास लाख रुपसे)। परामर्श सेवाओं से प्राप्त वार्षिक टर्नओवर का विवरण केवल आवेदक संगठन के नाम पर होना चाहिए, न कि समूह/सहयोगी संगठनों के नाम पर। (परामर्श सेवाओं से प्राप्त वार्षिक टर्नओवर का विवरण सहित अनुलग्नक-2 के अनुसार एक प्रमाण पत्र सनदी लेखाकार द्वारा (सीए)प्रस्तुत किया जाना चाहिए)	वर्ष 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25	टर्नोवर	
13	सरकारी विभागों या संगठनों/बहुपक्षीय एजेंसियों (जैसे: संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र से संबंधित निकाय, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, आईटीसी, एडीबी	वर्ष 2020-21 2021-22	कार्य आदेश & पूर्णता प्रमाण पत्र	

	आदि) के लिए इसी प्रकार के कार्य सौंपे गए अनुभव विवरण । (कृपया ऐसे कार्यों के निष्पादन के कार्य आदेश और पूर्णता प्रमाण पत्र की प्रतियां संलग्न करें)	2022-23 2023-24 2024-25		

संलग्नकों की सूची

<u>घोषणा</u>

मैं एतद्द्वारा घोषणा और पुष्टि करता हूं कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सत्य है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

मैं बोली दस्तावेज में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूं।

मैं समझता/समझती हूं कि यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि मैंने कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई/विकृत की है या स्पाइसेस बोर्ड के हित के विरुद्ध कोई कार्य किया है या चूक की है, तो मेरा बोली मुझे बिना किसी सूचना के तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा।

मुझे फर्म/एजेंसी की ओर से सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम)
पदनाम
ईमेल आईडी
संपर्क नंबर
एजेंसी की मूहर

अनुलग्नक - 2

सीए प्रमाणपत्र के लिए प्रोफार्मा

मैं/हम, प्रोप्राइटर/साझेदार/(सीए फर्म का नाम) के निदेशक, एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि मेसर्स_____ (बोलीदाता) प्रोप्राइटरशिप/साझेदारी/कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय_____में है और जिसका पैन_____ और जीएसटी नंबर_____ है, जो_____ (प्रति संलग्न) से वैध है, एतद्द्वारा निम्नलिखित घोषणा और पुष्टि करते हैं:

1. कि फर्म (तारीख) से अस्तित्व में है।
2. परामर्श संचालन से प्राप्त कारोबार का विवरण (संस्था के वित्तीय विवरणों के आधार पर) इस प्रकार है:

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	निष्पादित कार्यों की संख्या	संगठन का नाम	टर्नोवर (रुपये में)
1	2020-21			
2	2021-22			
3	2022-23			
4	2023-24			
5	2024-25			

3. उपर्युक्त कार्य परामर्श फर्म के अपने नाम पर प्राप्त किया गया था और बिल/भुगतान संस्था के अपने बैंक खाते में एकत्र किया गया था।

<u>घोषणा</u>

मैंने खातों की पुस्तकों, 26AS विवरणों और GST रिटर्न से उपरोक्त विवरणों का स्वतंत्र रूप से सत्यापन किया है और उन्हें सत्य और सही पाया है।

आवेदक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित: हस्ताक्षर:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर नाम एवं पदनाम युडीआईएन
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम सीए फर्म की मुहर
प्रोप्राइटर/साझेदार/निदेशक
कंपनी की मुहर

अनुलग्नक - 3

(एजेंसी के पत्र शीर्ष पर)

सेवा में,
निदेशक (विपणन)
स्पाइसेस बोर्ड,
कोच्ची - 682025

<u>विषय: कालीसूची में न होने की घोषणा</u>

महोदय,

उपरोक्त विषय पर दिनांकित बोली के संदर्भ में, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम एतद्द्वारा घोषणा और पुष्टि करता है कि..... (एजेंसी का नाम) को बोली जमा करने की तिथ..... तक असंतोषजनक प्रदर्शन, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी या किसी अन्य कारण से केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा भविष्य की बोलियों में भाग लेने के लिए कालीसूची या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर
(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम)
पदनाम:
एजेंसी की मुहर:

दिनांक:
स्थान: